संख्या- 3/2021/बी-2-23/दस-2021-एम61/2019

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 13 जनवरी, 2021

विषय- प्रदेश सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्ट्राम्प शुल्क से नगरीय निकायों के देयताओं के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ऊर्जा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल (संलग्न पुनर्विनियोग बी0एम0 9 प्रपत्र आर0ई0 संख्या-259/बी-2-22/दस-2021, दिनांक 13 जनवरी, 2021) नगरीय निकायों के देयताओं के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 375.00 करोड़ (रूपये तीन सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग प्रदेश के नगर निकायों में मार्ग प्रकाश एवं जलकल के विद्युत देयों का भुगतान उ0प्र0 पावर करपारेशन लि0 को करने के लिये किया जायेगा।

(2) धनराशि का उपयोग उसी मद के लिये किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(3) उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन द्वारा उक्त धनराशि का उपयोग एन0टी0पी0सी0 के लम्बित देयों के भुगतान हेतु किया जायेगा।

(4) धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में कर लिया जायेगा।

(5) उक्तानुसार निर्धारित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो, संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष ''2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से नगरीय निकायों की देयताओं का भुगतान-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-3/2021/बी-2-23(1)/दस-2021-एम61/2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- मुख्य, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- नगर विकास अनुभाग-9
7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-10

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम : 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्तीय वर्ष : 2020–2021 प्रपत्र – बी.एम.–9 (भाग–1)

(धनराशि लाख रुपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेतर (भारित)	आवेदन पत्र देने के दिनाँक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनाँक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2 – 5)
1	2	3	4	5	6
2217–80–800–03–राज्य सरकार द्वारा संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों का अन्तरण–42–अन्य व्यय	17500.00	17500.00	17500.00	17500.00	0.00
योग –	17500.00	17500.00	17500.00	17500.00	0.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेतर (भारित)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
2217–80–800–04–राज्य सरकार द्वारा संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से नगरीय निकायों की देयताओं का भुगतान– 42–अन्य व्यय	20000.00	37500.00	17500.00	17500.00	37500.00
योग –	20000.00	37500.00	17500.00	17500.00	37500.00

(1)स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचतें धनराशि व्यय किये जाने की आवश्यकता न होने के कारण है

(2)स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान की धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ–7 में अंकित मदों में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने के कारण है ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(आलोक दीक्षित)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग ।

संख्या : आर.ई.-259/बी-9-22/दस–2021, दिनाँक :13 जनवरी, 2021

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(आलोक दीक्षित)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग ।

संख्या : वी-2- 22 (1)/दस-2021, दिनाँक : 13 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
2– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)

d

(आलोक दीक्षित)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग ।